बिहार सरकार

सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषयः– राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड (Sarvam) एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति।

[Approval for signing a memorandum of understanding (MoU) between Axonwise Private Limited (Sarvam) and Department of Information Technology, Bihar, Patna for development of Artificial Intelligence (AI) Ecosystem in the State.]

बिहार सरकार नये–नये तकनीकों का समावेश कर नवाचार के माध्यम से राज्य के विकास हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। राज्य को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना आवश्यक है।

2. एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड (पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, 732, अर्बन वॉल्ट इंदिरानगर, 732, चिन्मय मिशन हॉस्पिटल रोड, 1st स्टेज, इंदिरानगर, बैंगलोर–560038), भारत में स्थित विश्व की अग्रणी तकनीकी कंपनियों में से एक है, जो क्लाउड कम्प्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमता, मशीन लर्निंग, जेनरेटिव एआई एवं डिजिटल कौशल विकास में विश्व–स्तरीय विशेषज्ञता रखती है। एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच एक नीतिगत गैर–वित्तीय एवं गैर–बाध्यकारी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाने का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग करेंगे :–

- राज्य में हर नागरिक और सरकारी अधिकारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की पहुँच को सुलभ एवं आसान बनाना तथा एआई के बेहतर उपयोग और विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना।
- भारत में बने बुनियादी (Fundamental) एआई मॉडल्स और एप्लिकेशन्स तक राज्य के विभागों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- बिहार के स्वीकृत शोधकत्ताओं को भारतीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में अपनी एआई रिसर्च क्षमताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाना।

क्रमशः 2/–

- स्थानीय भाषाओं में स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजकर, बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एआई संचालित शासन के मॉडल के रूप में स्थापित करना।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और एक स्थानीय भागीदार इकोसिस्टम तैयार करना ताकि लम्बे समय तक एआई विकास को बल मिले।

4. MoU में विभिन्न क्षेत्रों में Pilot परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है, जो प्राथमिकता निर्धारण, व्यवहार्यता मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहमति से क्रियान्वयन होगी। इनमें प्रमुखतः निम्नलिखित संकेतात्मक पहल सम्मिलित है :—

- राज्य में शुरूआती स्तर की एआई नीतियों को बनाने उन्हें लागू करने और सरकारी अधिकारियों को भारत में बने स्थानीय व सॉवरेन एआई सॉल्यूशंस की ट्रेनिंग देने में मदद करेगा।
- राज्य के विभागीय प्राथमिकताओं, नागरिकों को सेवा देने के लक्ष्यों एवं मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर एआई Strategy तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य के अधिकारियों को एआई के आधुनिक विकास और गवर्नेंस से अवगत कराने के लिए ज्ञान सत्र (Knowledge Sessions) आयोजित करेगा।
- भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण हेतु अनुकूलित एआई मॉडल, राज्य के प्रमुख भाषाओं जैसे– भोजपुर, मैथिली, मगही एवं अंगिका में वॉयस सपोर्ट, किसानों के लिए कीटों और फसलों की बीमारियों का पता लगाने वाले विशेष विजन मॉडल तथा कानून व्यवस्था के लिए एफआईआर, ड्राफ्टिंग व रियल–टाइम अनुवाद हेतु उन्नत एआई समाधान विकसित किये जायेंगे।
- कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों के स्थानीय भाषाओं और वॉयस आधारित स्मार्ट एआई टूल्स का उपयोग करके पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे ताकि नागरिक सेवाओं और सरकारी कार्यक्षमता में सुधार किया जा सके।
- राज्य के स्थानीय इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य द्वारा नामित स्थानीय और राष्ट्रीय तकनीकी भागीदारों को बेंगलुरू में अपने मुख्य प्रोडक्ट (Samvaad, Content Studio, Indus) पर मुफ्त गहन प्रशिक्षण, प्लेटफॉर्म क्रेडिट और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, ताकि राज्य के विभागों के लिए एआई एप्स विकसित किये जा सके।

क्रमशः .....3/—

- राज्य सरकार के सूचना प्रावैधकी विभाग को डेटा सुरक्षा, सुप्रभू कम्प्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और जिम्मेदार गवर्नेंस के सिद्धातों पर आधारित एक सुरक्षित और इनोवेटिव एआई नीति विकसित करने हेतु 'सरवम' सलाहकार के रूप में मदद करेगा।
- राज्य सरकार के सरकारी अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए एआई ट्रेनिंग एवं कोर्स तैयार करेगा।

5. प्रस्तावित समझौता ज्ञापन की प्रमुख शर्ते एवं विशेषताएँ निम्नवत् है :—

- यह MoU गैर वित्तीय प्रकृति का है। इसके अंतर्गत किसी पक्ष पर कोई मौद्रिक दायित्व, वित्तीय प्रतिबद्धता, अनुदान, सब्सिडी अथवा बजटीय देनदारी सृजित नहीं होगी।
- यह MoU प्रभावी तिथि से 60 (साठ) माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
- दोनो पक्षों की गोपनीय सूचना की पूर्ण सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
- किसी भी विशिष्ट कार्यक्रम, पायलट परियोजना, क्रय अथवा अन्य पहल से उत्पन्न होने वाले वित्तीय दायित्वों हेतु पृथक निश्चित समझौता निष्पादित किए जाएंगे, जो दोनो पक्षों की प्रासंगिक अनुमोदन प्रक्रियाओं के अधीन होंगे।
- एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड (Sarvam) एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना, किसी भी वित्तीय दायित्व के लिए Definitive Agreement करेंगे एवं अलग से सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- MoU पर आधारित कोई भी समाचार विज्ञप्ति, सार्वजनिक घोषणा अथवा प्रचार–प्रसार दोनों पक्षों की पूर्व लिखित सहमति के बिना जारी नहीं की जाएगी।
- MoU भारत के कानूनों के अधीन शासित होंगे तथा किसी भी विवाद का निपटारा पटना स्थित न्यायालयों में किया जायेगा।

6. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड (Sarvam) एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्रमशः .....4/—

7. उक्त संकल्प को दिनांक 24.06.2026 को मद संख्या– 30 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25/6/26

(अमय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06–सू०प्रा०–23 / 2026 1191 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष संस्करण में प्रकाशित करने के लिए। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियां मुद्रित करें तथा इस विभाग को उपलब्ध कराएं।

25/6/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06–सू०प्रा०–23 / 2026 1191 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/6/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06–सू०प्रा०–23 / 2026 1191 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06–सू०प्रा०–23 / 2026 1191 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06–सू०प्रा०–23 / 2026 1191 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

25/6/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06–सू०प्रा०–23 / 2026 1191 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा सभी विभागों को e-mail के माध्यम से भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/26
सरकार के सचिव।